न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या-56/2019

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

दुर्गा उरांव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
24/3/21	यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक सं0 1337/हि0शा0, दिनांक 28.06.2019) के आलोक में थानाध्यक्ष, नरपतगंज (बसमतिया) थाना काण्ड संख्या-84/19, दिनांक 11.02.2019 धारा-30(a) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। इस वाद के अभियुक्त श्री दुर्गा उरॉव, पिता-स्व0 बाबू लाल उरॉव, पिता-स्व0 बाबू लाल उरॉव, सा0-वार्ड नं0 06, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सूचनोपरांत कई तिथियों से इस न्यायालय में अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इस वाद में कोई रूचि नहीं है। तत्पश्चात् वाद को आदेश पर रखा गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 11.02.2019 को 'डी' समवाय 56वी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेला, बसमतिया ओ0पी0, जिला-अररिया उप निरीक्षक/सा0-कुलदीप कुमार साथ में अन्य दो कर्मी क्रमशः वि0प0 सं0-BR0028 मुआ0सा0 बल संख्या-0481398, सुजय कुमार सिंह और बिप0सं0-14090877 एवं 170830268, आ0/सा0 अभिषेक पवार, कंपनी कमाण्डर के आदेशानुसार 'डी' समवाय सशस्त्र सीमा बल बेला से 06:30 बजे सीमा स्तम्भ सं0 197/7 के समीप ए0डी0पी0 डयूटी के लिए रवानगी की। उप निरीक्षक अपने साथ अन्य दो कर्मी के साथ डयूटी पर तैनात थे। डयूटी के दौरान समय 14:30 बजे देखा कि पूरब नेपाल के तरफ से विपक्षी साईकिल के हैंडल पर दोनों तरफ एक-एक गैलन एवं एक बोतल लटकाये हुए काफी तेजी से ग्राम-बेला (भारत) की ओर आ रहे थे। जवानों के द्वारा 10 मीटर भारत सीमा के अंदर घेरा डालकर रोकने का प्रयास किया परंतु विपक्षी भागने का कोशिश किया। जवानों ने घेरा डालकर रोक लिया। अगल-बगल के लोगों को तलाशी हेतु बुलाया गया परंतु कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात् उपस्थित एस0एस0बी0 जवान क्रमशः मु0आ0सा0, सुजय कुमार सिंह, पिता-स्व0 भरत सिंह, सा0-बिसही, सा0-मनकररिया, थाना-पहाड़पुर, पूर्वी चंपारण (बिहार) तथा आ0सा0 अभिषेक कुमार पवार, सा0-गोकाक फार्ल्स, थाना-गोकाक, जनपद-बेड़गावी (कर्नाटक) के समक्ष विधिवत तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में साईकिल के हैंडल के दोनों तरफ बांधा हुआ गैलन में 5-5 लीटर देशी चुल्हाई शराब पाया गया। दोनों साक्षियों के समक्ष विधिवत पकड़े साईकिल सहित शराब की जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त साईकिल का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार थानाध्यक्ष, नरपतगंज (बसमतिया) थाना काण्ड संख्या-84/19, दिनांक	

11.02.2019 में जब्त **साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात**(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (साईकिल मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

26/3/21
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 19 (अ०मा०), अररिया, दिनांक 26/03/2021

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
अररिया